मध्यप्रदेश माध्यम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल–462011
टेलीफोन नं. 0755–2551910, 2551330

गणतंत्र दिवस समारोह, 26 जनवरी 2022, नई दिल्ली के लिये मध्यप्रदेश की झांकी निर्माण एवं प्रदर्शित करने के लिये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित हैं

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र एवं शर्तें

1.	ऑफर प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम तिथि	–	22.10.2021 (दोपहर 1.00 बजे तक)
2.	ऑफर प्रपत्र जमा की अंतिम तिथि	–	22.10.2021 समय 3.00 बजे अपरान्ह
3.	ऑफर खोलने की तिथि	–	22.10.2021 समय 3.30 बजे अपरान्ह
4.	धरोहर राशि रूपये	–	1,00,000/– (रूपये एक लाख)
5.	ऑफर प्रपत्र का मूल्य रूपये	–	1,000/– (रूपये एक हजार मात्र)

(कुल पृष्ठ संख्या–8)

मध्यप्रदेश माध्यम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल–462011
टेलीफोन नं. 0755–2551910, 2551330

गणतंत्र दिवस समारोह, 26 जनवरी 2022 नई दिल्ली के लिये मध्यप्रदेश की झांकी निर्माण एवं प्रदर्शित करने के लिए रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित हैं

म.प्र. शासन के लिए गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022, नई दिल्ली में प्रदर्शित की जाने वाली मध्यप्रदेश की चलित झांकी के निर्माण एवं प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित एवं उक्त समारोह के लिए झांकी संबंधी कार्यों का लगातार कम से कम 5 वित्तीय वर्षों (अर्थात वित्तीय वर्ष 2016–17, वित्तीय वर्ष 2017–18, वित्तीय वर्ष 2018–19, वित्तीय वर्ष 2019–20, वित्तीय वर्ष 2020–21) का अनुभव रखने वाली तथा उक्तानुसार झांकी के संबंध में रक्षा मंत्रालय से कम से कम 3 पुरस्कार प्राप्त फर्मों से रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र एवं शर्तें रूपये 1,000/– (रूपये एक हजार मात्र) नगद जमा कर (जिसकी वापसी नहीं होगी), कार्यालयीन दिवस में फर्म के लेटरहेड पर आवेदन पत्र देकर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। मध्यप्रदेश माध्यम की वेबसाइट www.mpmadhyam.in से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता हैं, लेकिन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर जमा करते समय ऑफर फार्म की कीमत रूपये 1,000/– (रूपये एक हजार मात्र) मध्यप्रदेश माध्यम के नाम से भोपाल में देय बैंक डिमॉड ड्राफ्ट द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के साथ जमा करनी होगी।' रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 22.10.2021 दोपहर 1.00 बजे तक विक्रय किये जायेगें एवं सीलबंद रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर उसी दिन दिनांक 22.10. 2020 को अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। प्राप्त रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित ऑफरकर्ताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे। ऑफर के साथ रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) प्रतिभूति राशि जमा करना अनिवार्य होगी। किसी भी ऑफर को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मध्यप्रदेश माध्यम के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र भोपाल रहेगा। विज्ञापन वेबसाइड www.mpmadhyam.in पर भी उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल

गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022, नई दिल्ली हेतु चलित झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन करने हेतु रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र–शर्तें :–

मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 हेतु नई दिल्ली में प्रदर्शित की जाने वाली मध्यप्रदेश की चलित झांकी के निर्माण करने वाली फर्मों से दिनांक 22.10.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे तक रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे खोले जायेंगे।

1. ऑफरकर्ताओं को अपने ऑफर के साथ प्रतिभूति राशि 'मध्यप्रदेश माध्यम' के नाम से भोपाल में देय रूपये 1,00,000/– का किसी प्रतिष्ठित बैंक से जारी बैंकर्स चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट (ऑफर प्रकाशन के बाद बना हो), संलग्न करना अनिवार्य है। प्रतिभूति राशि के बिना ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं ऑफर स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
2. ऑफरकर्ताओं को गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय समारोह 2022 के अवसर पर नई दिल्ली में चलित झांकी निर्माण कार्यों का लगातार कम से कम 5 वित्तीय वर्षों का (अर्थात वित्तीय वर्ष 2016–17, वित्तीय वर्ष 2017–18, वित्तीय वर्ष 2018–19, वित्तीय वर्ष 2019–20, वित्तीय वर्ष 2020–21) अनुभव होना आवश्यक है। विगत 5 वर्षों का कार्य करने के अनुभव के प्रमाण–पत्र ऑफर के साथ संलग्न किये जायें। ऑफरकर्ताओं को गणतंत्र दिवस समारोह, नई दिल्ली के लिए चलित झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन के लिए पूर्व के 5 वर्षों में कम से कम 3 पुरस्कार विजेता (प्रथम/द्वितीय/तृतीय पुरस्कार) होना आवश्यक है। झांकी को प्राप्त पुरस्कार के प्रमाण पत्र की फोटोप्रतियां ऑफर के साथ संलग्न की जायें।
3. ऑफरकर्ताओं को झांकी संबंधी समस्त कार्य टर्न–की बेसिस पर करने होंगे। रक्षा मंत्रालय की झांकी समिति द्वारा झांकी की अनुमोदित डिजाइन का ए. 3 डी. मॉडल तैयार करना होगा। सीडी/डीवीडी के साथ 2–3 आप्शन्स के 65 सैकेण्ड का म्यूजिक भी तैयार कर एक्सपर्ट समिति को प्रस्तुत किया जाना है एवं म्यूजिक कम्पोजर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय की झांकी समिति द्वारा झांकी के अनुमोदित मॉडल के अनुसार झांकी का निर्माण ईको फ्रेण्डली मटेरियल पर करना होगा। झांकी वाटरप्रूफ होना चाहिए।
4. जिन कलाकारों/शिल्पकारों द्वारा झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन के दौरान सहयोग किया जावेगा, उन ऑफरकर्ताओं को ऑफर के साथ उनका सहमति पत्र तथा इस तरह के कार्य बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। कलाकार/शिल्पकार मध्यप्रदेश के होंगे।
5. ऑफरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि झांकी अनुमोदित मॉडल के अनुसार आवश्यक होने पर उपयुक्त लाइव मॉडल (अनुमानित 20 मॉडल) को ड्रेस सहित एवं झांकी की थीम के अनुरूप शिक्षित कर झांकी में प्रस्तुत करेंगे। उक्त लाइव मॉडल एवं उनके द्वारा समस्त कार्य प्रदर्शन की व्यवस्था भी ऑफरकर्ता को करना अनिवार्य होगा। इनका समस्त व्यय ऑफरकर्ता को वहन करना होगा। समस्त लाइव मॉडल, समस्त नर्तक कलाकारों का एवं समस्त लेबर्स का पुलिस वेरिफिकेशन ऑफरकर्ताओं द्वारा करवाना होगा।

6. ऑफरकर्ताओं को अपने ऑफर के साथ फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या (पैन नं.), जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

7. ऑफरकर्ताओं को अपने ऑफर तीन लिफाफों में प्रस्तुत करेंगे। लिफाफों पर **''गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के अवसर पर नई दिल्ली में निर्मित की जाने वाली चलित झांकी हेतु रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर''** अंकित करेंगे तथा लिफाफों में रखी गई सामग्री का उल्लेख करेंगे। तीनों लिफाफे एक बार में ही खोले जायेंगे और परीक्षण बाद में किया जायेगा।

(अ) **पहला लिफाफा** : प्रतिभूति राशि रूपये 1,00,000/- (किसी प्रतिष्ठित बैंक द्वारा जारी बैंकर्स चेक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट)

(ब) **दूसरा लिफाफा** : झांकी निर्माण का अनुभव के प्रमाण पत्र, कलाकार, शिल्पकार के प्रमाण पत्र, झांकी निर्माण में प्राप्त किये गये पुरस्कार के प्रमाण पत्र, फर्म के जीवित पंजीयन का प्रमाण पत्र, आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या (पैन नं.), फर्म के नाम के बैंक खाते की पूर्ण जानकारी की बैंक द्वारा प्रमाणित प्रति तथा जी.एस.टी. क्रमांक की छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाये। लिफाफे में इन सभी प्रपत्रों की एक सूची बनाकर लगायी जाये।

(स) **तीसरा लिफाफा** : पूर्ण रूप से भरा गया ऑफर प्रपत्र जिसमें झांकी का मॉडल निर्माण तथा अनुमोदन के पश्चात झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन कार्य की दरें, समस्त व्यय सहित दी जाये। इस कार्य पर लागू टैक्स का प्रकार एवं टैक्स का प्रतिशत अलग से दर्शाया जायें। इसके अलावा कोई और भुगतान देय नहीं होगा।

इन तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलबंद करके जमा किया जावे।

8. ऑफरकर्ताओं को ऑफर के समस्त पृष्ठों पर ''सहमत हूं'', शब्द अंकित करते हुए अपने प्रतिष्ठान की सील सहित हस्ताक्षर कर शर्तों को अपने ऑफर के साथ संलग्न करना होगा।

9. ऑफर के निर्णय को प्रभावित करने वाला कोई भी तथ्य छुपाये जाने को संबंधित ऑफरकर्ता की अपात्रता मानी जावेगी।

10. झांकी निर्माण के लिए निर्धारित राशि का भुगतान दो समान किश्तों में किया जायेगा, जिसमें प्रथम किश्त मॉडल, रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने पर एवं द्वितीय अंतिम किश्त झांकी प्रदर्शन करने एवं रक्षा मंत्रालय की एन.ओ.सी. प्राप्त होने के पश्चात किया जावेगा।

11. किसी भी ऑफर को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा तथा इस संबंध में प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं सर्वसंबंधित पक्षों के लिए बंधनकारी होगा। इसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जावेगा। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र भोपाल रहेगा।

12. सशर्त ऑफर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

13. विभागाध्यक्ष अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्माण कार्य के दौरान अवलोकन कर निर्देशित किया जाता रहेगा तथा रक्षा मंत्रालय के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देश भी ऑफरकर्ताओं को मान्य करने होंगे। विभागाध्यक्ष अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्माण, कार्य सही पाये जाने पर ही झांकी को प्रदर्शन की अनुमति दी जावेगी तथा प्रदर्शन उपरांत ही ऑफरकर्ता को भुगतान देने के लिए विभाग उत्तरदायी होगा।

14. निर्धारित समय के पश्चात, बिना प्रतिभूति राशि/मांगे गये प्रमाण पत्रों के बिना/अपूर्ण/अस्पष्ट/अनसील्ड तथा काट–छांट वाले ऑफरों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा इन्हें निरस्त माना जावेगा।

15. झांकी के प्रदर्शन उपरांत केवल उपयोगी सामग्री पर मध्यप्रदेश माध्यम का अधिकार होगा, जिसे बताये गये स्थान पर पहुंचाना होगा।

16. यह ऑफर प्रपत्र अहस्तांतरणीय है।

17. झांकी के निर्माण एवं उसकी सजावट में उपयोग में लाये गये इको फ्रेण्डली सामान की गुणवत्ता व मजबूती में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर झांकी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जावेगी एवं ऑफरकर्ता की प्रतिभूति राशि राजसात कर किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

18. झांकी निर्माण के दौरान विषय वस्तु को उभारने की दृष्टि से निर्माण/सजावट के दौरान यदि परिवर्तन करना आवश्यक हुआ तो उसके संबंध में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यथा समय ऑफरकर्ता को सूचित किया जावेगा। यह कार्य मूल कार्य का ही अंग माना जावेगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

19. ऑफरकर्ता द्वारा निर्मित की जाने वाली झांकी की कार्ययोजना तथा कार्य हेतु जिस सामग्री का उपयोग करेंगे, उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। झांकी का कोई भाग विभाग की रूपरेखा/डिजाइन/कार्ययोजना के अनुसार न होने पर निर्माता को सही और संतोषजनक नया निर्माण अपने खर्चे पर करना होगा। यह कार्य मूल कार्य का ही हिस्सा माना जावेगा एवं इसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

20. सफल ऑफरकर्ताओं का मूलतः एक वर्ष के लिये पंजीयन किया जायेगा। आवश्यक होने पर ऑफरकर्ताओं की सहमति एवं म.प्र. माध्यम की सहमति से इस एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।

21. सफल ऑफरकर्ताओं से प्राप्त न्यूनतम दर पर म.प्र. माध्यम द्वारा फर्म के अनुभव एवं कार्य की प्राथमिकता को देखते हुए ऑफरकर्ताओं का पंजीयन किया जायेगा।

22. म.प्र. माध्यम के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि सफल पंजीकृत फर्मों में से किसी भी फर्म को निर्धारित न्यूनतम दर पर कार्य सौपा जा सकता है।

23. झांकी प्रदर्शन के पश्चात उक्त झांकी के 20 इंच गुणा 24 इंच आकार के दो रंगीन फोटोग्राफ फ्रेम सहित (26 जनवरी 2022, नई दिल्ली की परेड के अवसर के) कार्योपरांत मध्यप्रदेश माध्यम में प्रस्तुत करने होंगे।

24. झांकी के लिए दरें – ऑफर प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर झांकी का मॉडल निर्माण, झांकी निर्माण की सामग्री, झांकी निर्माण कार्य, लेबर चार्जेस, आवश्यक बीमा, समस्त कलाकारों, लाइव मॉडल्स के पारिश्रमिक, दिल्ली जाने–आने, भोजन, ठहरने, ड्रेस, ट्रांसपोर्टेशन आदि समस्त व्यय दरों में शामिल करके एकजाई दरें दी जायें। इसके अलावा लागू टैक्स का नाम एवं टैक्स का प्रतिशत अलग से दिया जाये।

25. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर पंचाट अधिनियम के तहत एकमेव मध्यस्थ जो सचिव/प्रमुख सचिव, जनसम्पर्क विभाग, म.प्र. शासन होंगे, के द्वारा किया जायेगा।

प्रबंध संचालक

आफरकर्ता के हस्ताक्षर ....

ऑफरकर्ता का नाम ....

पूर्ण पता ....

....

....

टेलीफोन नं. ....

मोबाइल नं. ....

फर्म की सील ....

मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल

गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022, नई दिल्ली के लिये झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु ऑफर प्रपत्र एवं दरों का प्रपत्र

1. ऑफरकर्ता का नाम : ....
2. फर्म का नाम : ....
3. पत्र व्यवहार का पता : ....
   ....
4. दूरभाष कमांक/मोबाइल : ....
5. आयकर स्थाई लेखा क्र. : ....
6. फर्म का स्थापना/पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक .... दिनांक ....
7. फर्म का जी.एस.टी. कमांक .... दिनांक ....
8. झांकी निर्माण के लिये दरें (झांकी का मॉडल निर्माण, झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन कार्य समस्त व्यय सहित) एवं टैक्स अतिरिक्त :–
   (अंकों में) ....
   (शब्दों में) ....
9. लागू टैक्स का नाम .... टैक्स का प्रतिशत ....
10. प्रतिभूति राशि : रूपये 1,00,000/– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्र. ....
    दिनांक ....बैंक का नाम ....

मैंने इस ऑफर में संलग्न सभी नियम एवं शर्तें पढ़कर समझ ली हैं तथा सभी नियम एवं शर्तों से सहमत हूं। म.प्र. माध्यम द्वारा दिये गये निर्धारित आकल्पन एवं प्रादर्श के अनुसार झांकी निर्माण करने को मैं तैयार हूं। मैं समय–समय पर अधिकारियों द्वारा दिये निर्देशों का पालन करूंगा।

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर ....
ऑफरकर्ता का नाम ....
(फर्म की सील सहित) ....

<u>संलग्न</u> : संलग्न/चेक लिस्ट –

(अ) <u>पहला लिफाफा</u> – धरोहर राशि

1. धरोहर राशि का बैंकर्स चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट

(ब) <u>दूसरा लिफाफा</u> – दस्तावेज

1. आयकर स्थाई लेखा संख्या (पैन कार्ड) की छायाप्रति
2. फर्म का स्थापना/पंजीयन प्रमाण–पत्र
3. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन का प्रमाण पत्र
4. फर्म के नाम से बैंक खाते की प्रमाणित जानकारी (आर.टी.जी.एस. के लिये)
5. अनुभव प्रमाण पत्र (पिछले 5 सालों के)
6. झांकियों को प्राप्त पुरस्कार के प्रमाण–पत्र
7. कलाकार/शिल्पकारों से संबंधित सहमति पत्र/प्रमाण पत्र
8. अन्य

(स) <u>तीसरा लिफाफा</u> – ऑफर प्रपत्र एवं दरें

1. पूर्ण रूप से भरा गया ऑफर प्रपत्र एवं दरें